राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4136 / 2024

अनिल कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, हनुमानगढ, राजस्थान।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, किशनपुरा, दिखनाडा, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :–05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा कुमार टांक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन सेठ राधाकिशन बिहानी राबाउमावि, हनुमानगढ टाउन में किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी को केवल मात्र इस आधार पर अधिशेष माना गया है कि वर्तमान विद्यालय में संविदाकर्मी अध्यापक की नियुक्ति की गयी है। उनका तर्क है कि अपीलर्थी स्थायी कर्मचारी है और संविदाकर्मी के पदस्थापन के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष होना माना जाना उचित नहीं है।
4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये तर्को पर विचार किया। हम पाते हैं कि वर्तमान विद्यालय में दो शिक्षकों के पदस्थापन होने के आधार पर

अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्वक जारी किया गया हो। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष